



04/10/23 पत्रावली पत्र हटाने का आदेश आधिकारी

बाद पत्रावली से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक को 02/11/2023 को हटाया है।

B.O.


08/11/23 पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी व वादवादी अनु उपस्थित। माभालु द्वारा बार-बार आवाज लगावा दी गई। किन्तु वकील वादी व वादवादी अनु उपस्थित रुका से अदमा हाजरी अदमा फेरवी से वादपत्र खारीज किया गया। पत्रावली फेराल शुभक होकर गम्वर से वास हा। 

उपखण्ड अधिकारी
भदसेर, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)